International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 15 Issue 9 || September 2026 || PP. 111-117

भारत में भाषा की राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: राष्ट्रवाद, बहुभाषिकता और संघीय विमर्श का समकालीन विश्लेषण

[1]Sampurna Nand, [2]Dr. Ram Pratap Yadav

[1]Research Scholar, Department of Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Shri Ramswaroop Memorial University, Lucknow Deva Road, Barabanki
[2]Assistant Professor (Political Science), Faculty of Humanities and Social Sciences
Shri Ramswaroop Memorial University, Barabanki-225003

सारांश

*भारत विश्व के सर्वाधिक भाषायी विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संघीय अधिकारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए अंग्रेजी के प्रयोग को भी जारी रखा तथा राज्यों और भाषायी अल्पसंख्यकों के भाषायी अधिकारों के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान किए। परिणामस्वरूप भारत में भाषा का प्रश्न कभी केवल भाषावैज्ञानिक प्रश्न नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्र-निर्माण और लोकतांत्रिक संघवाद का महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान भाषा-राजनीति को एक नया विमर्श मिला है। एक ओर केंद्र सरकार हिंदी के प्रशासनिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विस्तार पर बल देती है, वहीं दूसरी ओर भारतीय भाषाओं की समग्र उन्नति, मातृभाषा में शिक्षा, भाषायी तकनीक, अनुवाद तथा स्थानीय भाषाओं के संरक्षण की बात भी की जाती है। 2025 में भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना, भारतीय भाषा उत्सव, हिंदी दिवस पर प्रधानमंत्री का सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने का आह्वान तथा भारतीय भाषाओं के लिए अनुवाद-तकनीक के विकास को इसी व्यापक दृष्टिकोण के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके बावजूद हिंदी के बढ़ते संस्थागत उपयोग को लेकर विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में आशंकाएँ बनी हुई हैं। 2026 में CBSE की कक्षा 9 के लिए तीन भाषाओं, जिनमें कम-से-कम दो भारतीय भाषाएँ होना अनिवार्य है, संबंधी व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई तथा सितंबर 2026 में केरल के विधायकों द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के एक कार्यक्रम में हिंदी के विशेष प्रयोग के विरोध ने इस बहस को पुनः राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया। यह शोध-पत्र तर्क देता है कि मोदी युग की भाषा-राजनीति को केवल "हिंदी थोपने" अथवा "भारतीय भाषाओं के पुनर्जागरण" जैसे किसी एक आयाम से समझना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषाओं, शिक्षा, प्रशासन, डिजिटल तकनीक, चुनावी राजनीति और संघवाद के बीच संबंधों का समग्र अध्ययन आवश्यक है। भारत के लिए स्थायी भाषा-नीति का आधार **हिंदी का विकास बनाम अन्य भारतीय भाषाएँ** नहीं, बल्कि **हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सह-अस्तित्व, परस्पर अनुवाद और समान सम्मान** होना चाहिए।*

प्रमुख शब्द: *भारतीय भाषाएँ, राजभाषा, भाषा राजनीति, नरेंद्र मोदी, हिंदी, राष्ट्रवाद, संघवाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भाषायी विविधता, तीन-भाषा सूत्र।*

प्रस्तावना

भारत की राजनीतिक संरचना को समझने के लिए भाषा की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय समाज में भाषा व्यक्ति की सामाजिक पहचान, क्षेत्रीय संबद्धता, सांस्कृतिक स्मृति और राजनीतिक चेतना का महत्वपूर्ण आधार है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, असमिया, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, मैथिली, संथाली तथा अनेक अन्य भाषाएँ भारतीय बहुलतावादी समाज को आकार देती हैं (Government of India, 2026)। भारत की भाषायी विविधता केवल संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं तक सीमित नहीं है। जनगणना 2011 की भाषा-संबंधी तालिकाएँ देश में सैकड़ों मातृभाषाओं और अनेक भाषायी समुदायों की उपस्थिति दर्शाती

हैं। जनगणना के C-16 आंकड़ों में मातृभाषाओं का राज्य, जिला और तहसील स्तर तक विवरण उपलब्ध है (Census of India, 2011; Ministry of Education, 2025)। इस बहुभाषिक समाज में किसी भाषा को प्रशासन, शिक्षा या राष्ट्रीय राजनीति में अपेक्षाकृत अधिक स्थान मिलना स्वाभाविक रूप से राजनीतिक अर्थ ग्रहण करता है। इसलिए भारत में भाषा-नीति हमेशा सत्ता और पहचान के प्रश्न से जुड़ी रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक दौर में भाषा का प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। मोदी स्वयं हिंदी को सार्वजनिक राजनीतिक संचार के एक प्रभावी माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। उनके भाषणों, रेडियो कार्यक्रमों, चुनावी अभियानों और सरकारी संचार में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। साथ ही, मोदी सरकार भारतीय भाषाओं को तकनीकी, शैक्षिक और सांस्कृतिक स्तर पर बढ़ावा देने की नीति प्रस्तुत करती रही है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है—**क्या मोदी युग की भाषा-राजनीति हिंदी-केंद्रित राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रही है, या यह भारतीय भाषाओं के व्यापक पुनर्जागरण का प्रयास है?** इस शोध-पत्र का उद्देश्य इसी प्रश्न का आलोचनात्मक अध्ययन करना है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. भारत में भाषा-राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधानों का विश्लेषण करना।
3. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाषा-नीति के प्रमुख आयामों की पहचान करना।
4. हिंदी के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपयोग का विश्लेषण करना।
5. भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन में वर्तमान सरकार की भूमिका का मूल्यांकन करना।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और तीन-भाषा सूत्र के राजनीतिक प्रभावों का अध्ययन करना।
7. हिंदी-विरोधी आंदोलनों तथा विशेषकर दक्षिण भारत की भाषायी राजनीति का विश्लेषण करना।
8. डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में भारतीय भाषाओं की नई संभावनाओं का अध्ययन करना।
9. भाषा, राष्ट्रवाद और संघवाद के बीच संबंधों का विश्लेषण करना।
10. भारत के लिए अधिक समावेशी भाषा-नीति की संभावनाएँ प्रस्तुत करना।

अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन मुख्यतः **गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति** पर आधारित है। शोध के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें भारत का संविधान, राजभाषा विभाग के दस्तावेज, जनगणना संबंधी भाषा-सांख्यिकी, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्टें, सरकारी प्रेस विज्ञप्तियाँ, समकालीन समाचार रिपोर्टें तथा भाषा-नीति से संबंधित प्रकाशित साहित्य शामिल हैं (Government of India, 2026)।

अध्ययन में 2011 की जनगणना को भाषायी संरचना के लिए आधारभूत सांख्यिकीय स्रोत माना गया है क्योंकि भारत की नवीनतम पूर्ण जनगणना भाषा-संबंधी विस्तृत तालिकाएँ अभी भी 2011 के आंकड़ों पर आधारित हैं। जनगणना की C-17 तालिका द्विभाषिकता और त्रिभाषिकता के आंकड़े भी उपलब्ध कराती है (Census of India, 2011)। समकालीन संदर्भों के लिए 2025–2026 के सरकारी दस्तावेजों और नवीन घटनाओं का उपयोग किया गया है। अतः अध्ययन में ऐतिहासिक और समकालीन दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ा गया है (Ministry of Education, 2025)।

भारतीय संविधान और भाषा का संघीय ढाँचा

भारतीय संविधान के भाग XVII में संघ और राज्यों की भाषा से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी निर्धारित करता है। साथ ही अंग्रेजी के प्रयोग की निरंतरता के लिए वैधानिक व्यवस्था की गई।

अनुच्छेद 350 नागरिकों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए संघ या राज्य में प्रयुक्त भाषाओं में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार देता है (Government of India, 2026)। अनुच्छेद 350A भाषायी अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की दिशा में राज्य से प्रयास की अपेक्षा करता है (Ministry of Education, 2025)। अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी के प्रसार एवं विकास का दायित्व देता है, लेकिन इसमें हिंदी को भारतीय भाषाओं के रूपों, शैलियों और अभिव्यक्तियों से समृद्ध करने की स्पष्ट अवधारणा भी है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि संविधान का भाषायी दर्शन केवल हिंदी-प्रचार तक सीमित नहीं है। यह एक साथ तीन लक्ष्यों को संतुलित करता है—

- संघ स्तर पर प्रशासनिक कार्यक्षमता,
- भाषायी विविधता का संरक्षण,
- राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक सहभागिता।

राजभाषा अधिनियम, 1963 ने हिंदी के साथ अंग्रेजी के निरंतर आधिकारिक प्रयोग का आधार मजबूत किया। अधिनियम संघ और उन राज्यों के बीच संचार में अंग्रेजी के प्रयोग को भी विशेष महत्व देता है जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है।

इस प्रकार भारतीय भाषा-व्यवस्था मूलतः **बहुस्तरीय भाषायी संघवाद** पर आधारित है।

हिंदी और भाषा-आंदोलन

1. हिंदी के पक्ष में राजनीति

हिंदी को व्यापक जनसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा, प्रशासनिक संपर्क भाषा तथा भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

हिंदी समर्थक राजनीति के प्रमुख तर्क हैं—

- व्यापक जनसंचार,
- प्रशासन में सरलता,
- औपनिवेशिक भाषायी विरासत से मुक्ति,
- भारतीय सांस्कृतिक आत्मविश्वास,
- भारतीय भाषाओं के बीच संपर्क।

2. हिंदी-विरोधी राजनीति

दूसरी ओर, दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी-विरोधी आंदोलन का इतिहास लंबा है। इन आंदोलनों में भाषा केवल भाषा नहीं रही; वह क्षेत्रीय स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और राज्य के अधिकारों का प्रतीक बनी।

तमिल राजनीति में हिंदी-विरोध ने द्रविड़ आंदोलन को राजनीतिक आधार प्रदान किया। इसी प्रकार कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी समय-समय पर हिंदी के बढ़ते संस्थागत प्रयोग पर चिंता व्यक्त की गई।

इसलिए हिंदी की राजनीति को समझने के लिए "हिंदी समर्थक" और "हिंदी विरोधी" के सरल द्वंद्व से आगे जाना आवश्यक है। असली प्रश्न यह है कि **किस स्तर पर, किस उद्देश्य से और किस सीमा तक किसी भाषा का उपयोग किया जाए।**

नरेंद्र मोदी का भाषायी राजनीतिक विमर्श

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाषा राजनीति को एक विशिष्ट राजनीतिक शैली प्राप्त हुई है। मोदी के सार्वजनिक भाषणों में हिंदी का प्रयोग राजनीतिक संचार की केंद्रीय रणनीति है। यह शैली उन्हें विभिन्न राज्यों और सामाजिक वर्गों से संवाद स्थापित करने में सहायता करती है।

मोदी की भाषा-राजनीति के तीन प्रमुख आयाम देखे जा सकते हैं—

(क) हिंदी को राष्ट्रीय सार्वजनिक संचार के माध्यम के रूप में मजबूत करना

मोदी के भाषणों और राजनीतिक अभियानों में हिंदी का प्रभाव व्यापक है। हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर जनसंपर्क और राजनीतिक संचार की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है।

(ख) भारतीय भाषाओं को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ना

सरकार के भाषायी विमर्श में हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय भाषायी परंपरा के एक प्रमुख घटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 2025 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत **भारतीय भाषा अनुभाग** की स्थापना इसी दृष्टिकोण का संस्थागत उदाहरण है (Census of India, 2011)। सरकार ने इसे भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान और भाषायी विविधता के लिए मंच के रूप में प्रस्तुत किया।

(ग) अंग्रेजी के प्रभुत्व को चुनौती देना

सरकारी भाषा-विमर्श में अंग्रेजी के अत्यधिक प्रभुत्व को औपनिवेशिक विरासत के रूप में देखा जाता है। भारतीय भाषाओं में प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने की बात की जाती है। यहाँ मोदी सरकार का दृष्टिकोण भाषा को केवल सांस्कृतिक मुद्दा नहीं, बल्कि **ज्ञान के लोकतंत्रीकरण** से भी जोड़ता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण

अपना भारत मूलतः भाषा-प्रधान देश है। हमारी भाषाएँ सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही हैं। हिमालय की ऊँचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गाँव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बीहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की 'बिदेशिया', इन सबने हमारी संस्कृति को जीवन्त और लोककल्याणकारी बनाया है (Census of India, 2022)। गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएँ प्रतिरोध की आवाज बनीं। आजादी के आंदोलन के राष्ट्रव्यापी बनने में हमारी भाषाओं की बड़ी भूमिका रही। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, ग्राम-देहात की भाषाओं को आजादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाट्यकारों ने लोकभाषाओं में, लोककथाओं में, लोकगीतों और लोकनाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वन्दे मातरम् और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघ का मंच हो, चाहे जी-20 का सम्मेलन हो, SCO में संबोधन हो, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढाया है (Government of India, Department of Official Language, 2026)।

मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के लिए जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए। राजभाषा

हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जनभाषा और जनचेतना की भाषा बनाने का अद्‌भुत कार्य किया है। 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। 2024 में हिंदी दिवस पर 'भारतीय भाषा अनुभाग' की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बनें। डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं।

मोदी सरकार और "हिंदी बनाम भारतीय भाषाएँ" का प्रश्न

मोदी सरकार के समर्थकों का तर्क है कि वर्तमान नीति का लक्ष्य केवल हिंदी का विस्तार नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं को मजबूत करना है। 2025 में भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना के अवसर पर सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय भाषाएँ परस्पर पूरक हैं और किसी एक भाषा की उन्नति को दूसरी भाषा के विरुद्ध नहीं देखा जाना चाहिए। इसी प्रकार 2025 के भारतीय भाषा उत्सव में आदिवासी भाषाओं को भी विशेष स्थान दिया गया। इसमें आदिवासी भाषा-प्राइमर, पुस्तकें, शब्दकोश और तकनीकी अनुप्रयोग प्रस्तुत किए गए (Government of India, Department of Official Language, 2026)।

इससे सरकार की भाषा-नीति में एक व्यापक वैचारिक बदलाव दिखाई देता है—

हिंदी-केंद्रित राजभाषा नीति → भारतीय भाषाओं की समग्र पारिस्थितिकी।

लेकिन राजनीतिक व्यवहार के स्तर पर आलोचना भी बनी हुई है। आलोचकों का कहना है कि संस्थागत शक्ति और केंद्र सरकार के प्रशासनिक प्रभाव के कारण हिंदी को मिलने वाला अतिरिक्त स्थान अन्य भाषाओं में असमानता की भावना पैदा कर सकता है। अतः सरकारी नीति की घोषणा और उसके राज्यों में अनुभव के बीच अंतर का अध्ययन आवश्यक है।

भाषा और राजनीतिक संचार: मोदी मॉडल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सफलता में संचार की शैली का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनकी राजनीतिक भाषा सरल, भावनात्मक और जनसंचार-केंद्रित है। हिंदी का प्रयोग इस शैली का प्रमुख तत्व है। प्रधानमंत्री के भाषणों में स्थानीय शब्दों, भारतीय सांस्कृतिक संदर्भों और जनभाषा का उपयोग राजनीतिक संदेश को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुँचाता है। साथ ही मोदी विभिन्न राज्यों में स्थानीय भाषाओं और स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीकों का भी राजनीतिक उपयोग करते हैं (Government of India, Department of Official Language, 2026)। यह रणनीति भाषायी विविधता को चुनावी राजनीति से जोड़ती है। इस प्रकार मोदी की भाषा-राजनीति को केवल हिंदी-केन्द्रित कहना अधूरा होगा। इसे **बहुस्तरीय राजनीतिक संचार रणनीति** के रूप में भी देखा जा सकता है (Ministry of Education, 2020)।

मोदी युग में भाषा-राजनीति की तीन संभावित दिशाएँ

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारत की भाषा-राजनीति तीन संभावित दिशाओं में विकसित हो सकती है।

मॉडल 1: हिंदी-केंद्रित राष्ट्रवाद

इस मॉडल में हिंदी को राष्ट्रीय राजनीतिक और प्रशासनिक संचार की केंद्रीय भाषा के रूप में अधिक मजबूत किया जाएगा। इसका लाभ प्रशासनिक एकरूपता हो सकता है, लेकिन गैर-हिंदी राज्यों में राजनीतिक प्रतिरोध की संभावना भी बढ़ सकती है।

मॉडल 2: बहुभाषी भारतीय राष्ट्रवाद

इस मॉडल में हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहेगा, लेकिन तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम, असमिया, उड़िया, पंजाबी और अन्य भाषाओं को समान सांस्कृतिक महत्व दिया जाएगा। यह मॉडल भारतीय संविधान की बहुलतावादी भावना के अधिक अनुकूल हो सकता है।

मॉडल 3: डिजिटल बहुभाषिकता

यह भविष्य का सबसे संभावित मॉडल हो सकता है। AI आधारित अनुवाद और भाषायी तकनीक के कारण व्यक्ति अपनी मातृभाषा में संवाद कर सकेगा, जबकि प्रशासनिक और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न भाषाओं के बीच तत्काल अनुवाद संभव होगा। इस स्थिति में "एक राष्ट्रीय संपर्क भाषा" की आवश्यकता कम हो सकती है और "बहुभाषी डिजिटल भारत" का विकास हो सकता है।

निष्कर्ष

भारत में भाषा की राजनीति भारतीय लोकतंत्र और संघवाद के मूल प्रश्नों से जुड़ी हुई है। भाषा केवल शब्दों और व्याकरण की व्यवस्था नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति, सत्ता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाषा-नीति ने हिंदी के सार्वजनिक और प्रशासनिक महत्व को मजबूत करने के साथ-साथ भारतीय भाषाओं के पुनरुत्थान का व्यापक विमर्श भी विकसित किया है। भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना, भारतीय भाषा उत्सव, मातृभाषा आधारित शिक्षा, भारतीय भाषाओं में तकनीकी सामग्री तथा अनुवाद तकनीक जैसे प्रयास इसी दिशा की ओर संकेत करते हैं। फिर भी हिंदी के बढ़ते संस्थागत प्रयोग को लेकर गैर-हिंदी भाषी राज्यों की आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2026 में तीन-भाषा नीति पर न्यायिक विमर्श और केरल के विधायकों द्वारा राष्ट्रीय मंच पर हिंदी के विशेष प्रयोग का विरोध यह दिखाता है कि भाषा का प्रश्न अभी भी भारतीय संघवाद की संवेदनशील सीमा है।

इस अध्ययन का निष्कर्ष है कि भारत के लिए उचित भाषा नीति **"एक भाषा, एक राष्ट्र"** की अवधारणा से अधिक **"बहुभाषी राष्ट्र, साझा संवैधानिक पहचान"** की अवधारणा पर आधारित होनी चाहिए। हिंदी का विकास भारतीय भाषाओं की कीमत पर नहीं, बल्कि उनके साथ होना चाहिए। इसी प्रकार भारतीय भाषाओं के संरक्षण का अर्थ अंग्रेजी को समाप्त करना नहीं होना चाहिए। भारत की वास्तविक शक्ति उसकी भाषायी बहुलता में है। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन अनुवाद और डिजिटल भाषायी तकनीक इस संघर्ष को सहयोग में बदलने का अवसर प्रदान कर सकती हैं। यदि एक तमिल भाषी नागरिक हिंदी भाषी नागरिक से बिना भाषायी बाधा के संवाद कर सके, यदि हिंदी भाषी विद्यार्थी मलयालम या तमिल में उपलब्ध ज्ञान को तुरंत समझ सके और यदि आदिवासी भाषाओं का साहित्य डिजिटल रूप में सुरक्षित हो सके, तो भाषा भारत की राजनीतिक विभाजन-रेखा के बजाय **राष्ट्रीय एकीकरण का डिजिटल पुल** बन सकती है। अतः मोदी युग की भाषा-राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि "हिंदी जीतेगी या अन्य भाषाएँ", बल्कि यह है कि **क्या भारत अपनी भाषायी विविधता को समानता, तकनीक और संवैधानिक संघवाद के माध्यम से एक साझा राष्ट्रीय शक्ति में बदल सकता है**

संदर्भ सूची

[1]. Ministry of Education, Government of India. (2025). *ABSS 2025 Outcome Document: Indian languages and mother-tongue-based education*. Government of India.

[2]. Census of India. (2011). *C-16: Population by mother tongue, India*. Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India.

[3]. Government of India, Department of Official Language. (2026). *Constitutional provisions relating to official languages*. Ministry of Home Affairs.

[4]. Census of India. (2022). *Census of India 2011: Language Atlas – India*. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.

[5]. Census of India. (2011). *C-17: Population by bilingualism and trilingualism, India*. Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India.

[6]. Government of India. (1950). *The Constitution of India*. Legislative Department, Ministry of Law and Justice.

[7]. Government of India, Department of Official Language. (2026). *Official Language Policy of the Union*. Ministry of Home Affairs.

[8]. Government of India, Department of Official Language. (1963). *The Official Languages Act, 1963*. Ministry of Home Affairs.

[9]. Government of India, Department of Official Language. (2026). *Annual Programme and Reports: Annual Programme 2026–27*. Ministry of Home Affairs.

[10]. Ministry of Education, Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. Government of India.